# बिहार सरकार
## शिक्षा विभाग
## संकल्प

पटना, दिनांक.............................../

संचिका सं0–03/आ01–64/2026................./जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, नालन्दा के पत्रांक–713 दिनांक 30.03.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना की टीम के द्वारा दिनांक 16.03.2026 को निगरानी थाना काण्ड संख्या–019/2026 दिनांक 13.02.2026 के अप्राथमिकी अभियुक्त श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक, प्रखंड संसाधन केन्द्र चण्डी, नालंदा को 17,000/– (सतरह हजार रू.) मात्र रिश्वत लेते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी, नालंदा के कार्यालय कक्ष से गिरफ्तार किया गया। परिवादी श्री धर्मेन्द्र कुमार पिता–नागेन्द्र कुमार सिंह साकिन–मवारकपुर, पोस्ट–तुलसीगढ़, थाना–चण्डी, नालंदा द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराया गया था कि श्रीमती पुष्पा कुमारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी, नालंदा के द्वारा अन्तर वेतन एवं वार्षिक वेतनवृद्धि भुगतान करने के एवज में रिश्वत की मांग की गयी। इस मामले में श्रीमती पुष्पा कुमारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी, नालंदा प्राथमिकी अभियुक्त हैं एवं इनके द्वारा रिश्वत की राशि की स्वयं ग्रहण करने के बजाय राशि को श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक को देने को कहा गया, जिसके उपरान्त अप्राथमिकी अभियुक्त श्री वर्मा को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी के कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालन्दा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती कुमारी जिला/प्रखंड कार्यालय से बिना सूचना अनुपस्थित है, जिस कारण प्रखंड का कार्य बाधित हो रहा है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, नालन्दा द्वारा श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी एवं वेन, नालंदा के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

3. श्रीमती पुष्पा कुमारी के विरूद्ध विहित दायित्वों के निर्वहन/निष्पादन के लिए रिश्वत मांगने का अत्यंत गंभीर आरोप है और इसके लिए इनपर निगरानी थाना कांड सं.–019/2026, दिनांक–13.02.2026 दर्ज है। इनके बदले में रिश्वत की राशि प्राप्त करने वाले श्री मनोज कुमार वर्मा, संसाधन शिक्षक को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, चण्डी के कार्यालय कक्ष से रंगे हाथ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है जबकि श्रीमती पुष्पा कुमारी गिरफ्तारी के भय से फरार चल रही है, जिसके कारण प्रखंड का कार्य बाधित हो रहा है।

4. उपर्युक्त गंभीर आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(1)(ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्रीमती पुष्पा कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्रीमती पुष्पा कुमारी का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय पटना प्रमंडल, पटना निर्धारित किया जाता है।

6. निलंबन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

7. अनुशासनिक कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

8. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेजा जाय।**

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**
ह./–
(मनोरंजन कुमार)
निदेशक (प्रशासन)

ज्ञापांक : 03/आ01–64/2026 I/394591 पटना, दिनांक 09/04/2026

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना (आई.टी. मैनेजर शिक्षा विभाग के माध्यम से)/महालेखाकार, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, बिहार पटना/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/सभी निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी (वि0दा0नि0 कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालन्दा/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), नालन्दा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती पुष्पा कुमारी, कार्यक्रम पदाधिकारी–सह–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, थरथरी अतिरिक्त प्रभार चण्डी एवं वेन, नालंदा/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
निदेशक (प्रशासन) Manoranjan Kumar
Date: 09-04-2026 16:57:23